देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/45 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 27 जून 2024

जेडीए के ज़ोन 12 मे भूमाफियाओं द्वारा करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर बनाई जा रही अवैध फैक्ट्री!!

भाग-1

लाख शिकायतों के बावजूद जेडीए का प्रवर्तन दस्ता नहीं कर रहा कार्यवाही!!

जेडीए के तमाम दावों के बावजूद,जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम कालवाड के खसरा संख्या 82/8,82/9,आनंद फार्म हाउस,रामला का बास बस स्टेंड के पास,राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे,कालवाड-जोबनेर रोड की 4 बीघा से अधिक कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री बनाने का खेला जा रहा है खेल!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

भीमू 3 महीने पहले

जेडीए के दावो की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया,जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ|

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों मे कमी आई है और जयपुर के कोलोनाईजर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे है|लेकिन भूमाफियाओं की मनमानी के सामने शायद यह जेडीए के कर्ता-धर्ताओ की खुशफहमी साबित हो रही है|आपको बता दें कि विगत 4 सालों मे जेडीए के तत्कालीन मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व मे सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए थे और वर्तमान मे इक्का दुक्का कार्यवाहियो को छोड़,जेडीए के बाहरी इलाकों मे इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है|

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST

गृह निर्माण सहकारी समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001
इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नही है। नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता ी गई है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17 जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संधारित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल हैं। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जावेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके है तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण की मान्यता दी जायेगी।

बैकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दर्शाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगें।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो वे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारी को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, सम्पति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए है।

जेडीए के तमाम दावों के बावजूद,जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम कालवाड के खसरा संख्या 82/8,82/9,आनंद फार्म हाउस,रामला का बास बस स्टेंड के पास,राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे,कालवाड-जोबनेर रोड की 4 बीघा से अधिक कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री बनाने का खेला जा रहा है खेल!!

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का धंधा जोरों पर है|इन ज़ोनो मे एक ज़ोन 12 भी है,जहां ताबड़तोड़ अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है|जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नही लग पा रही है|जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम कालवाड के खसरा संख्या 82/8,82/9,आनंद फार्म हाउस,रामला का बास बस स्टेंड के पास,राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे,कालवाड-जोबनेर रोड की 4 बीघा से अधिक कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए फैक्ट्री बनाने की तैयारियां चल रही है|यदि इस बेशकीमती कृषि भूमि को जेडीए विनियमों के तहत भू -उपयोग परिवर्तन करवाकर,निर्माण करवाया जाता तो जहां एक तरफ जेडीए को लाखों करोड़ों रुपयों के राजस्व की आय होती वही दूसरी तरफ इस क्षेत्र का भी सुनियोजित विकास होता|लेकिन चंद रुपयों के लालच के चलते भूमाफिया ना केवल राजस्व को चुना लगा रहे है बल्कि शहर के सुनियोजित विकास मे भी बाधा बन रहे है|देखना यह है कि यह मामला सामने आने के बाद जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते है|

सेवामें,

श्रीमान मुख्य नियंत्रक महोदय,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– कृषि भूमि पर वगैर जे.डी.ए. की अनुमति के मॉल, होटल एवं बेयरहाउस का अवैध निर्माण रूकवाने के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जे.डी.ए. जोन–12 के ग्राम कालवाड़ में आनन्द फार्म हाउस, रामला का बास बस स्टेण्ड के पास, राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे, कालवाड़–जोबनेर रोड पर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 82/08, 82/09 में भू–माफियाओं द्वारा बगैर भूमि का किस्म परिवर्तन करवाये बिना ही मॉल, होटल एवं बेयरहाउस का निर्माण तीव्र गति से करवाया जा रहा है जो पूर्णतया अवैधानिक व अवैध है। इसके सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा पूर्व में लिखित व मौखिक शिकायत जे.डी.ए. जयपुर में की गई है किन्तु उस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

भू–माफियाओं द्वारा उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से कार्य को तीव्र गति से किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभाव से रूकवाया जावे एवं अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः

संलग्नकः– अवैध निर्माण कार्य के फोटोग्राफ।

प्रार्थीया,

(विमला शर्मा)
वरिष्ठ नागरिक
मो.नं. 9828151177

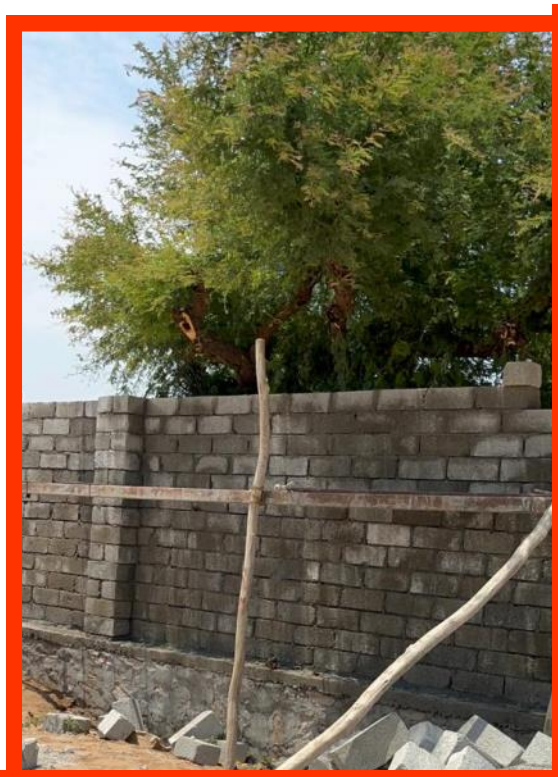

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर अवैध फैक्ट्री बना रहा है?
2. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-12 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध फैक्ट्री के बारे मे जानकारी है?
3. क्या जेडीए के इस ज़ोन 12 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध फैक्ट्री को बनाने के जिम्मेदार नहीं है?
4. इस अवैध फैक्ट्री के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
5. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
6. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?